2019 का विधेयक संख्यांक 337

[दि प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन बिल, 2019 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

पूर्व-विधायी परामर्श विधेयक, 2019

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग में आज्ञापक पूर्व विधायी परामर्श तंत्र, ऐसे परामर्शों के समन्वयन हेतु आंतरिक टीमों की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्व-विधायी परामर्श अधिनियम, 2019 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न, हो,—

(क) ''मुख्य परामर्श आयुक्त'' और ''परामर्श आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (*3*) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य परामर्श आयुक्त तथा परामर्श आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) ''परामर्श आयोग'' से, धारा 12 की उपधारा (*1*) अंतर्गत गठित परामर्श आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''परामर्श अधिकारी'' से धारा 11 की उपधारा (*1*) के अंतर्गत अभिहित परामर्श अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''प्रारूप विधान'' से, कतिपय प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप, प्रारूप नियमावली अथवा प्रारूप विनियम, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, और जिन्हें वैधानिक रूप देने हेतु सभा पटल पर रखा जाएगा अथवा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अपरिहार्य है, अभिप्रेत है;

(ङ)''विहित'' से, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(च) ''सार्वजनिक टिप्पणी'' से कतिपय प्रारूप विधान के संबंध में संबंधित अंशधारकों अथवा आम जनता से, लिखित में अथवा ऑनलाइन प्राप्त संदेश, जिसमें उक्त प्रारूप, विधायन पर विस्तृत डाटा, मत, तर्क एवं इनपुट शामिल हों, अभिप्रेत है;

(छ) ''सार्वजनिक परामर्श'' से प्रारूप विधान पर इनपुट की प्राप्ति तथा चर्चा करने के लिए समुचित विभाग अथवा मंत्रालय, चिह्नित अंशधारक तथा/अथवा आम जनता के मध्य प्रत्यक्ष आदान-प्रदान का आयोजन अभिप्रेत है; तथा

(ज) ''अंशधारक'' से कतिपय व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनके प्रारूप विधान द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, अभिप्रेत है।

अध्याय दो

प्रारूप विधानों का प्रकाशन

प्रारूप विधानों का प्रकाशन।

3. (*1*) केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक विभाग अथवा मंत्रालय ऐसी विधि से, जैसा कि विहित किया जाये, प्रारूप विधान को सक्रिय रूप से अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, ताकि आम जनता इसे प्रमुखता से और सुगमतापूर्वक देख सके।

(*2*) जहां उक्त प्रारूप विधान किसी विशिष्ट जनसमूह को प्रभावित करता हो, तो उक्त प्रारूप विधान को प्रभावित लोगों में व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया या प्रिंट मीडिया अथवा ऐसी अन्य विधि, जैसा कि आवश्यक समझी जाए, के द्वारा अभिलेखित और प्रचारित की जाए।

मंत्रालय द्वारा प्रारूप, विधान का ब्यौरा दिया जाना।

4. केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक मंत्रालय अथवा संबंधित विभाग सार्वजनिक पटल पर प्रारूप विधान तथा अन्य संबंधित जानकारी जिसमें उक्त विधान का संक्षिप्त औचित्य, प्रारूप विधान के अनिवार्य घटक, उसके वृहद वित्तीय प्रभाव, और पर्यावरण, मूल अधिकारी तथा संबंधित एवं प्रभावित लोगों के जीवन और आजीविकाओं पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों का अनुमानित मूल्यांकन शामिल है, को प्रकाशित करेगा या प्रस्तुत करेगा।

सार्वजनिक पटल पर प्रारूप विधान के रहने की समयावधि।

5. धारा 4 में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे न्यूनतम तीस दिनों की समयावधि के लिए सार्वजनिक पटल पर ऐसी विधि से, जैसे कि संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, रखे जायेंगे।

अपवाद।

6. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों से संबंधित प्रारूप विधान का प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा, यथा:—

(क) किसी विभाग या मंत्रालयों की आंतरिक कार्यप्रणाली या इसके कार्मिकों, या सार्वजनिक संपत्ति, ऋणों, अनुदानों, लाभों अथवा अनुबंधों का ब्यौरा।

(ख) केन्द्रीय सरकार के थल सेना, नौसेना अथवा विदेशी मामलों से संबंधित ब्यौरे।

अध्याय तीन

सार्वजनिक टिप्पणियां और परामर्श

सार्वजनिक टिप्पणियां।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक विभाग अथवा मंत्रालय, सार्वजनिक पटल पर, कतिपय प्रारूप विधान के प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त, संबंधित हितधारकों और आम जनता द्वारा लिखित डाटा जमा करने, विचारों और बहस के द्वारा, किसी अन्य विधि द्वारा उक्त मतों को अवसर प्रदायगी या अवसर प्रदायगी के बिना मौखिक अभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।

(*2*) उपधारा (*1*) के अंतर्गत सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ, संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा;–

(क) वास्तविक पता, ई–मेल पता अथवा वेब लिंक, जहां सार्वजनिक टिप्पणियां दर्ज की जायेंगी;

(ख) सार्वजनिक टिप्पणी प्रस्तुतीकरण का फॉर्म, जिसमें प्रारूप और शब्द सीमा शामिल हैं; तथा

(ग) सार्वजनिक टिप्पणी प्रस्तुतीकरण की समय–सीमा।

सार्वजनिक परामर्श।

8. (*1*) जहां केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा प्रारूप विधान पर आम जनता को या हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो उक्त विभाग या मंत्रालय द्वारा उक्त टिप्पणियां व्यक्त करने हेतु स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक स्तर पर नोटिस जारी किया जायेगा, और जहां उक्त टिप्पणियां कतिपय विशिष्ट संख्यायुक्त हितधारकों से प्राप्त की जानी संभावित हों, को ऐसे विधि अनुसार नोटिस दिया जायेगा, जैसे कि निर्धारित किया जाये।

(*2*) उपधारा (*1*) के अंतर्गत जारी नोटिस में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:—

(क) सार्वजनिक टिप्पणियों के समय, स्थान और प्रकृति से संबंधित विवरण;

(ख) कतिपय प्राधिकरण, जिसके अधीन प्रारूप विधान का प्रस्ताव किया गया, के विषय में संदर्भ;

(ग) प्रारूप विधान के नियम अथवा सार, तथा सम्मिलित विषयों और मुद्दों का विवरण; तथा

(घ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसे कि निर्धारित किये जायें।

सार्वजनिक टिप्पणियों और परामर्श के परिणाम का प्रकाशन।

9. केन्द्रीय सरकार का संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय, सार्वजनिक टिप्पणियों और सार्वजनिक परामर्श देने से प्राप्त सभी समुचित सामग्री पर गौर करने के पश्चात्, एक आउटपुट दस्तावेज, जिसमें पहचान किये गये हितधारकों, प्राप्त इनपुट तथा प्राप्त सुझावों के अंगीकरण अथवा अस्वीकृत किये जाने संबंधी कारण दर्ज होंगे, को उस रूप में, जैसा कि निर्धारित किया जाये, प्रकाशित करेगा।

सार्वजनिक टिप्पणी अथवा परामर्श न करने के कारणों को रिकॉर्ड करना।

10. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय का यह मत हो, कि सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित करना, अथवा सार्वजनिक परामर्श करवाना संभव नहीं या वांछनीय नहीं है, तो वह अपने कारणों को लिखित में, उस रूप में, जैसा कि विहित किया जाये, रिकॉर्ड करेगा।

परामर्श अधिकारियों का पदनाम।

11. (*1*) इस अधिनियम के लागू होने के एक सौ दिनों के अंदर, केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक विभाग और मंत्रालय इस अधिनियम के तहत उक्त विभाग या मंत्रालय हेतु नियत, उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु अधिकारियों की ऐसी संख्या को परामर्श अधिकारियों के रूप में पदनामित करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(*2*) उपधारा (*1*) के अंतर्गत प्रत्येक विभाग और मंत्रालय में पदनामित परामर्श अधिकारी उत्तरदायी होंगे:—

(क) धारा 3 में निर्धारित तरीके के अनुसार प्रारूप विधान का प्रकाशन सुनिश्चित करना;

(ख) सार्वजनिक टिप्पणी हेतु आवश्यक मंच मुहैया करवाना;

(ग) परामर्श हेतु प्रमुख हितधारकों की पहचान करना;

(घ) सार्वजनिक परामर्श हेतु समुचित स्थलों की स्थापना और उनका समन्वयन;

(ङ) आऊटपुट दस्तावेज तैयार करना;

(च) परामर्श आयोग को सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करना; और

(छ) यथा निर्धारित अन्य सभी उत्तरदायित्वों की पूर्ति।

अध्याय चार

परामर्श आयोग

परामर्श आयोग का गठन।

12. (*1*) **केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन, परामर्श आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी।**

(*2*) परामर्श आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) मुख्य परामर्श आयुक्त; और

(ख) परामर्श आयुक्तों की ऐसी संख्या जो कि दस से अन्यून हो, और जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समझी जाए।

(*3*) मुख्य परामर्श आयुक्त तथा परामर्श आयुक्त कतिपय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(*i*) प्रधानमंत्री, जो कि समिति के अध्यक्ष होंगे;

(*ii*) लोक सभा में नेता विपक्ष, अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता,

(*iii*) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देशित केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री।

(*4*) परामर्श आयोग का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन तथा प्रबंधन मुख्य परामर्श आयुक्त में निहित होगा, जिन्हें अन्य परामर्श आयुक्तों की सहायता प्राप्त होगी, और ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तथा ऐसे सभी कृत्य व बातों का निर्वहन करेंगे, जो कि केन्द्रीय परामर्श आयोग द्वारा स्वायत्त रूप से, इस अधिनियम के तहत रहकर अन्य किसी प्राधिकरण के निर्देशों के पालन करने हेतु बाध्य हुए बिना किये जायेंगे।

(*5*) मुख्य परामर्श आयुक्त तथा परामर्श आयुक्त सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे, जिन्हें विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया अथवा प्रशासन या शासन जैसे क्षेत्रों में वृहद ज्ञान और दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त होगा।

(*6*) मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा अन्य परामर्श आयुक्त संसद सदस्य अथवा किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, जैसा कि मामला हो, अथवा अन्य कोई लाभ का पद-धारण नहीं करेगा, अथवा किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, अथवा कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा।

(*7*) परामर्श आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

मुख्य परामर्श आयुक्त और परामर्श आयुक्त का कार्यकाल।

13. (*1*) मुख्य परामर्श आयुक्त पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यभार ग्रहण करेगा, और पुन: नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर कोई मुख्य परामर्श आयुक्त अपने पद पर नहीं रह पायेगा।

(*2*) प्रत्येक परामर्श आयुक्त पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की समयावधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु की प्राप्ति जो भी पहले हो, तक के लिए कार्यभार ग्रहण करेगा, तथा परामर्श आयुक्त के रूप में पुन: नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि प्रत्येक परामर्श आयुक्त, इस उपधारा के अंतर्गत अथवा पद छोड़ने पर, धारा 12 की उपधारा (*3*) में यथानिर्दिष्ट विधि के अनुसार मुख्य परामर्श आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा:

परंतु आगे यह भी कि जहां परामर्श आयुक्त को मुख्य परामर्श आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति का कार्यकाल परामर्श आयुक्त और मुख्य परामर्श आयुक्त के कार्यकाल के कुल जोड़, जो कि पांच वर्ष होगा, से अधिक नहीं होगा।

(*3*) मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा परामर्श आयुक्त किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित स्वलिखित त्यागपत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकेंगे:

परंतु यह कि मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा कतिपय परामर्श आयुक्तों को धारा 14 में निर्धारित तरीके के द्वारा हटाया जा सकेगा।

(*4*) (क) मुख्य परामर्श आयुक्त को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्तें मुख्य सूचना आयुक्त के समान होंगी;

(ख) परामर्श आयुक्त को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्तें सूचना आयुक्त के समान होंगे।

(*5*) केन्द्रीय सरकार मुख्य परामर्श आयुक्त तथा परामर्श आयुक्तों को, ऐसी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करवायेंगी, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत निहित उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक होंगे, और उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते, तथा सेवा संबंधी नियम व शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि निहित की जाए।

मुख्य परामर्श आयुक्त तथा परामर्श आयुक्त को पद से हटाया जाना।

14. (*1*) उपधारा (*2*) के उपबंधों के अध्यधीन मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा परामर्श आयुक्त को अपने पद से, सिद्ध मिथ्याचार अथवा अक्षमता के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेशों से हटाया जा सकेगा, जब उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित सिफारिश के आधार पर, अन्वेषण करके यह पाया हो, कि मुख्य परामर्श आयुक्त या कतिपय परामर्श आयुक्त, जैसाकि मामला हो, को उक्त आधार पर पद से हटाया जाना न्यायसंगत है।

(*2*) उपधारा (*1*) में अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, राष्ट्रपति मुख्य परामर्श आयुक्त या कतिपय परामर्श आयुक्त को, अपने आदेश द्वारा उनके पद से हटा सकेंगे, यदि मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा परामर्श आयुक्त, जैसा भी मामला हो,—

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(ख) कतिपय अपराध, जो कि राष्ट्रपति के मत से नैतिक पत्तन का कारक है, के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो; अथवा

(ग) अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यभार के कर्त्तव्य के दायरे, से बाहर जाकर कतिपय भुगतान रोजगार में संलग्न हो; अथवा

(घ) उक्त व्यक्ति ,राष्ट्रपति के मत में, मानसिक अथवा शारीरिक अक्षमताओं के कारण उपने पद पर बने रहने में अक्षम हो; अथवा

(ङ) ऐसी वित्तीय या अन्य हितों का अर्जन किया हो, जो कि मुख्य परामर्श आयुक्त अथवा परामर्श आयुक्त के तौर पर अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन पर भेदभावपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

परामर्श आयोग के कार्य।

15. परामर्श आयोग,—

(क) विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा सार्वजनिक परामर्श के संचालन तथा सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा;

(ख) सार्वजनिक परामर्श संचालन हेतु सर्वोत्तम मानक निर्धारित करेगा;

(ग) उन अपवादों, जहां इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे का निर्धारण करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रभावी कार्य-निष्पादन हेतु उत्तरदायी परामर्श अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपण करेगा; और

(ङ) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कि निर्धारित किये जायें।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

शास्ति।

16. (*1*) जहां केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग या मंत्रालय—

(क) धारा 11 की उपधारा (*1*) के अंतर्गत अधिकारियों को परामर्श आयुक्तों के रूप में पदनामित करने में असफल रहे; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा परामर्श आयोग द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का उल्लंघन करता हो, या उल्लघंन का प्रयत्न करे, अथवा किन्हीं अन्य उपबंधों की अवमानना करे, जैसा कि मामला हो; तो संबंधित विभाग या मंत्रालय शास्ति, जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, के द्वारा दंडित होगा।

केन्द्रीय सरकार निधियां प्रदान करेगी।

17. केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा समुचित विनियोग किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक विधियां प्रदान करेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

18. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

19. (*1*) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी, किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विचारशील लोकतंत्र की प्रमुख कसौटी है विधि निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की सद्भागिता। आखिरकार, कानून जनता की भलाई के लिए ही तो बनाए जाते हैं, तथा लोक कल्याण को समझने का सरलतम साधन है, इस विषय में सर्वप्रथम आम जनता का मत जानना। परामर्श द्वारा आम सहमति बनाने से वास्तव में जनता के, जनता के द्वारा विधान निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार विनिर्मित विधान वृहत अनुपालन कराने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उक्त विधान जनादेश पर आधारित हो, जिन्होंने विधि निर्माण प्रक्रिया में अपनी बात रखी हो।

उक्त प्रकृति के विधेयक के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य है:—

(क) विधि-निर्माण प्रक्रियाओं में योगदान के द्वारा समान समस्याओं अथवा लक्ष्यों के साकार करने के लिए समाधान के कार्यान्वयन तथा संवाद, निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशन और सामुदायिक सद्भागिता को प्रोत्साहित करना।

(ख) विधि-निर्माण प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, तथा

(ग) ऐसे मजबूत कानून बनाना, जिनमें बहुपक्षीय परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल हों।

पूर्व-विधायी परामर्श कोई अनोखी बात नहीं है, तथा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विधायिकाओं तथा निर्णय लेने वाले निकायों द्वारा इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह विधि निर्माण प्रक्रिया में बहु-हितधारी दृष्टिकोण की पैरवी करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा आम जनता विधि निर्माण प्रक्रिया में योगदान दे सकती है। भारत सरकार के कई मंत्रालयों द्वारा कैबिनेट और संसद में प्रारूप विधान प्रस्तुत किए जाने से पूर्व परामर्श करवाये जाते है तथा सार्वजनिक टिप्पण हेतु अवसर प्रदान किए जाते हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने भी 2014 में पूर्व-विधायी परामर्श नीति जारी की थी, जिसका केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा कैबिनेट को कतिपय विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। पीएलसीपी की यह अपेक्षा है कि अधीनस्थ तथा प्रत्यायोजित विधान के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। पूर्व-विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी) की भांति, यह विधेयक भी राष्ट्रीय परामर्श परिषद, राष्ट्रीय संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग की सिफारिशों तथा अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप होगा। इस विधेयक का उद्देश्य बेहतर अनुपालन के प्रयोजनार्थ पूर्व-विधायी परामर्श नीति को कुछ हद तक विधायी समर्थन प्रदान करना है तथा परामर्श प्रदायन प्रक्रिया संचालन के संबंध में प्रक्रियाओं, प्रणालियों और शास्तियों की भी व्यवस्था करता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 *अक्तूबर*, 2019

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रारूप विधान का प्रकाशन किये जाने का उपबंध करता है। खण्ड 4 में प्रत्येक संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा प्रारूप विधान का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने का भी उपबंध है। खण्ड 9 में संबंधित विभाग या मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक टिप्पणियों तथा परामर्श के परिणामों के प्रकाशन का भी उपबंध है। खण्ड 11 में प्रारूप विधान के प्रकाशन, समन्वयन तथा सार्वजनिक चर्चा हेतु स्थलों का निर्धारण तथा आऊअपुट दस्तावेज तैयार करना सुनिश्चित करने के संबंध में परामर्श अधिकारियों की जिम्मेदारी का उपबंध है। खण्ड 12 में परामर्श आयोग के गठन का उपबंध है। यह मुख्य परामर्श आयुक्त तथा दस परामर्श आयुक्तों की नियुक्ति का भी उपबंध करता है। खण्ड 17 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करेगी। अत: अधिनियमित होने पर, भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। यह अनुमान है कि इस पर प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि में से लगभग एक सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा।

इस पर कोई भी अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 19 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के विषयों से संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग में आज्ञापक पूर्व विधायी परामर्श तंत्र, ऐसे परामर्शों के समन्वयन हेतु आंतरिक टीमों की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—3434LS(S3)—25-11-2019.